

(1)

कार्यालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्रमांक. /2024

सीधी, दिनांक-07.03.2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 एवं 15 तथा म.प्र. आपराधिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन **माह-मार्च एवं अप्रैल-2024** के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिए रिमाण्ड ड्यूटी सपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

जिला-मुख्यालय सीधी

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मार्च 2024	माह-अप्रैल 2024
1	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	08	07
2	श्रीमती शोभना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	16	9
3	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	10	11
4	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	31	17
5	श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	17, 24	14
6	श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	29	20, 21
7	श्री अनिरुद्ध उचाड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	25, 26	28

तहसील-मुख्यालय चुरहट

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मार्च 2024	माह-अप्रैल 2024
1	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	8, 10, 26	7, 11
2	सुश्री भाविनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	16, 17, 29	9, 14, 28
3	सुश्री वैशाली बड़रिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	24, 25, 31	17, 20, 21

(2)

तहसील-मुख्यालय रामपुर नैकिन

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मार्च 2024	माह-अप्रैल 2024
1	श्री परमानन्द सनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	16, 17, 26, 29	9, 14, 20, 21
2	श्री वैभव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	8, 10, 24, 25, 31	7, 11, 17, 28,

तहसील-मुख्यालय मझौली

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-मार्च 2024	माह-अप्रैल 2024
1	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	8, 16, 24, 26, 31	7, 11, 17, 28,
2	सुश्री रूचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	10, 17, 25, 29	9, 14, 20, 21

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, **सीधी, /चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली** उपरोक्त दर्शित तिथियों में दिन के **सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे** तक रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।
2. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिए सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति मय हस्ताक्षर लिखित आवेदन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को सूचित कर अपनी पूर्व निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तित करा सकते हैं।
3. यदि इस बीच कोई अतिरिक्त शासकीय अवकाश घोषित होता है तो निम्न सारणी अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दिवस की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

मुख्यालय सीधी:-

माह मार्च 2024 :- श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।

माह अप्रैल 2024 :- श्री अनिरुद्ध कुमार उचाड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।

तहसील मुख्यालय चुरहट:-

माह मार्च 2024 :- श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

माह अप्रैल 2024 :- सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

(3)

तहसील मुख्यालय रामपुर नैकिन:-

माह मार्च 2024 :- श्री वैभव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

माह अप्रैल 2024 :- श्री परमानन्द सनोडिया, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

तहसील मुख्यालय मझौली:-

माह मार्च 2024 :- सुश्री रुचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली।

माह अप्रैल 2024 :- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली।

4. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

5. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमाण्ड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।

6. यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्र अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।

7. रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार जिला स्थापना सीधी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

Sd/-

(लक्ष्मण डोडवे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक: 313 /24
प्रतिलिपि :-

सीधी, दिनांक- 07.03.2024

1. प्रस्तुतकार-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी (म.प्र.)
2. श्री लवकेश सिंह/श्रीमती शोभना मीणा/श्रीमती रेनू श्रीवास्तव/श्री सोनू जैन/श्री अभिषेक साहू/श्रीमती सोनम शर्मा/श्री अनिरुद्ध कुमार उचाडिया/श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार/सुश्री वैशाली बड़ेरिया/श्री परमानंद सनोडिया/श्री वैभव पटेल/श्री दीपक अग्रवाल/सुश्री रुचि परते, न्यायिक

(4)

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी/चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3. पुलिस अधीक्षक जिला सीधी म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग जिला सीधी म.प्र.
5. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी म.प्र.
6. कार्यालय अनुभाग जिला न्यायालय सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. डी.पी.ओ. सीधी, जिला सीधी, (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/रामपुरनैकिन/मझौली/सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सिस्टम आफीसर/सहायक सिस्टम ऑफीसर सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) की ओर ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला नाजिर, जिला सीधी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।



(लक्ष्मण डोडवे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)